मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVII अंक 5 अगस्त 2021

एमसीआईआर

Azadi Ka Amrit Mahotsav

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
II. मौद्रिक नीति	1
II. विनियमन	2
III. भुगतान और निपटान प्रणाली	2
IV. मुद्रा प्रबंधन	3
V. सरकार का बैंकर	3
VI. वित्तीय समावेशन	4
VII.आरबीआई बुलेटिन	4
VIII. जारी आंकड़े	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषणा

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 4-6 अगस्त 2021 को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप,एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे,एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

I. चलनिधि उपाय:

ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना– समय-सीमा को बढ़ाया जाना

नवीन और भंगुर आर्थिक बहाली को देखते हुए, ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना को तीन महीने की अवधि, अर्थात् 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। रिज़र्व बैंक ने 9 अक्टूबर, 2020 को पांच क्षेत्रों के लिए ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना की घोषणा की थी, जो 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध थी और जिसे आगे 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

एमएसएफ- छूट का बढ़ाया जाना

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) पर छूट को 31 दिसंबर 2021 तक तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। एमएसएफ़, जो शुरू में 30 जून 2020 तक उपलब्ध था, बाद में चरणों में 31 मार्च 2021 तक और फिर से बैंकों को उनकी चलनिधि आवश्यकताओं पर सुविधा प्रदान करने और उन्हें अपने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए 30 सितंबर 2021 तक छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। ।

II. विनियामक उपाय:

लिबोर पारगमन - दिशानिर्देशों की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने लंदन इंटरबैंक ऑफ़र्ड रेट (लिबोर) पारगमन के मद्देनजर विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण और डेरिवेटिव संविदाओं के पुनर्गठन से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया, जो एक महत्वपूर्ण घटना है जो बैंकों और वित्तीय प्रणाली के लिए चुनौतियां पेश करती है।

i) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण - बेंचमार्क दर:

बेंचमार्क दर के रूप में लिबोर के आसन्न बंद होने के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को संबंधित मुद्रा में किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग करके निर्यात ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है।

ii) बैंकों के तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण मानदंड:

चूंकि लिबोर से संदर्भ दर में आसन्न परिवर्तन एक "अप्रत्याशित घटना" है, बैंकों को सूचित किया जा रहा है कि संदर्भ दर में लिबोर / लिबोर संबंधी बेंचमार्क से वैकल्पिक संदर्भ दर में परिवर्तन को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा।

वित्तीय मानकों की उपलब्धि के लिए समय- सीमा को स्थगित करना

कारोबार के पुनरुद्धार पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव और परिचालन मापदंडों को पूरा करने में आने वाली कठिनाई को देखते हुए, उपरोक्त मापदंडों के संबंध में निर्दिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि को 1 अक्टूबर 2022 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। कुल बाह्य देयताओं/समायोजित कुल निवल मूल्य (टीओएल/एटीएनडब्ल्यू) के मापदंड के संबंध में, यह अनुपात संशोधित पूंजी संरचना (अर्थात, ऋण-इक्विटी मिश्रण) को दर्शाता है, जैसा कि समाधान ढांचे के लिए कार्यान्वयन शर्तों के तहत आवश्यक है और समाधान योजना के हिस्से के रूप में अग्रिम रूप से सघन होने की उम्मीद थी। तदनुसार, इसे प्राप्त करने की तारीख अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात 31 मार्च 2022। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेडबी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 4 से 6 अगस्त 2021 तक हुई 30वीं बैठक का कार्यवृत्त 20 अगस्त 2021 को जारी किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अनुसार, रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की प्रत्येक बैठक के चौदहवें दिन इस बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त प्रकाशित करेगा। पूरा कार्यवृत्त पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

II. विनियमन

कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान

2021 में कोविड-19 महामारी के पुनरुत्थान और परिचालन मापदंडों को पूरा करने में उधारकर्ताओं के लिए आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2021 को चार परिचालन पैरामीटर, अर्थात कुल ऋण / ईबीआईडीटीए, वर्तमान अनुपात, डीएससीआर और एडीएससीआर के संबंध में निर्दिष्ट सीमा को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि को 1 अक्टूबर 2022 तक स्थगित कर दिया। टीओएल/एटीएनडब्ल्यू के अनुपात को प्राप्त करने की लक्ष्य तिथि, जैसा कि समाधान योजना के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है, 31 मार्च 2022 के रूप में अपरिवर्तित रहेगी। प्रमुख अनुपातों में समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद उधारकर्ता के ऋण-इक्विटी मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल बाहरी देयताओं/समायोजित मूर्त निवल मूल्य (टीओएल/एटीएनडब्ल्यू) के अनुपात के साथ चार परिचालन अनुपात अर्थात् कुल ऋण / ईबीआईटीडीए, वर्तमान अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) और औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (एडीएससीआर) शामिल थे । विस्तार से पढ़ने पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण

बेंचमार्क दर के रूप में लिबोर के आसन्न समाप्ति को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त को बैंकों को संबंधित मुद्रा में किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकार्य वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग करके निर्यात ऋण प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राधिकृत डीलरों को लिबोर / यूरो लिबोर / यूरीबोर से संबंधित ब्याज दरों पर माल की खरीद, प्रसंस्करण, विनिर्माण या पोत-लदान से पहले पैकिंग के वित्तपोषण के लिए निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में पोत-लदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी) प्रदान करने की अनुमति है। इस संबंध में अन्य सभी निदेश अपरिवर्तित रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्रचना

रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2021 को स्पष्ट किया कि लिबोर से वैकल्पिक संदर्भ दर में परिवर्तन के कारण आवश्यक संदर्भ दर में परिवर्तन की वजह से डेरिवेटिव संविदा की शर्तों में परिवर्तन को डेरिवेटिव संविदा की पुनर्रचना के रूप में नहीं माना जाएगा बशर्ते मूल संविदा के अन्य सभी मानदंड अपरिवर्तित रहते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री

रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2021 को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा से संबंधित निर्देशों को संशोधित किया। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे संशोधित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति/परिचालन दिशानिर्देश तैयार करें। संशोधित अनुदेश 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे और बैंकों के पास नए और मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकरों और सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा दोनों पर लागू होंगे।

लॉकर के लिए ग्राहक उचित सावधानी (सीडीडी) की मुख्य विशेषताएँ:

i) बैंक के मौजूदा ग्राहक जिन्होंने लॉकर सुविधा के लिए आवेदन किया है और सीडीडी मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं, उन्हें सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा की सामग्री का निरंतर अनुपालन के अधीन सुविधाएं दी जा सकती हैं।

ii) जिन ग्राहकों का बैंक के साथ कोई अन्य बैंकिंग संबंध नहीं है, उन्हें सीडीडी मानदंड का अनुपालन करने के बाद सुरक्षित जमा लॉकर / सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री निरंतर अनुपालन के अधीन सुविधाएं दी जा सकती हैं। लॉकर किराए पर लेने वाले सभी ग्राहकों, जो कोई भी अधिकार और क्षमता में हों, के लिए उचित सावधानी ली जाएगी।

iii) बैंक लॉकर करार में एक खंड शामिल करेंगे कि लॉकर-किराएदार(रों)/ सुरक्षित जमा लॉकर में कुछ भी अवैध या कोई खतरनाक पदार्थ नहीं रखेगा। यदि बैंक को संदेह है कि किसी ग्राहक द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर में कोई अवैध या खतरनाक पदार्थ जमा किया गया है, तो बैंक को ऐसे ग्राहक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा जो उस परिस्थिति में उचित और सटीक लगे।

iv) बैंक लॉकर को संचालित करने के लिए लॉकर-किराएदार(रों) द्वारा प्राधिकृत लॉकर- किराएदार(रों) और व्यक्ति(यों) की पासपोर्ट आकार की फोटो प्राप्त करेंगे और बैंक की शाखा में रखे जा रहे लॉकर-किराएदार से संबंधित रिकॉर्ड में संरक्षित करेंगे।

लॉकर आवंटन

i) ग्राहकों को सूचित विकल्प चुनने की सुविधा के लिए,, बैंक खाली लॉकरों की एक शाखावार सूची के साथ-साथ कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) में प्रतीक्षा सूची या लॉकरों के आवंटन और लॉकरों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा जारी साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप किसी अन्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को बनाए रखेंगे। बैंक लॉकर के आवंटन के लिए सभी आवेदनों की प्राप्ति की पावती देंगे और यदि लॉकर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो ग्राहकों को प्रतीक्षा सूची संख्या प्रदान करेंगे।

मॉडल लॉकर आवंटन

i) सुरक्षित जमा लॉकरों के लिए बैंकों के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित करार होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, बैंक भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार किए जाने वाले मॉडल लॉकर करार को अपना सकते हैं। यह करार इन संशोधित अनुदेशों और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप होगा। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लॉकर करार में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, बैंक के हितों की रक्षा के लिए करार की शर्तें व्यापार के सामान्य आवश्यकता से अधिक कठिन नहीं होंगी। बैंक 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर करार का नवीनीकरण करेंगे।

ii) किसी ग्राहक को लॉकर के आवंटन के समय, बैंक उस ग्राहक के साथ, जिसे लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है, विधिवत मुहर लगे कागज पर एक करार करना होगा। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दो प्रतियों में लॉकर करार की एक प्रति लॉकर-किराएदार को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए प्रस्तुत की जाएगी। मूल करार बैंक की उस शाखा के साथ रखा जाएगा जहां लॉकर स्थित है।

लॉकर किराया

i) जहां लॉकर-किराएदार न तो लॉकर संचालित करता है और न ही किराए का भुगतान करता है, बैंकों को संभावित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लॉकर किराए का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को आवंटन के समय एक सावधि जमा प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें तीन साल का किराया और ऐसी स्थिति में लॉकर तोड़कर खोलने के शुल्क शामिल होंगे। हालांकि, बैंक मौजूदा लॉकर धारकों या संतोषजनक परिचालन खाते वाले लोगों से ऐसी सावधि जमा पर जोर नहीं देंगे। लॉकर सुविधा के आवंटन की पैकेजिंग के साथ सावधि जमाराशियों को उपर्युक्त विशेष रूप से अनुमत सीमा से अधिक रखने को एक प्रतिबंधात्मक प्रथा के रूप में माना जाएगा।

ii) यदि लॉकर का किराया अग्रिम रूप से वसूल किया जाता है, तो ग्राहक द्वारा लॉकर के समर्पण की स्थिति में, एकत्र किए गए अग्रिम किराए की आनुपातिक राशि ग्राहक को वापस कर दी जाएगी।

iii) यदि लॉकरों के भौतिक स्थानांतरण की गारंटी देने वाली शाखा के विलय/बंद/स्थानांतरण जैसी कोई घटना होती है, तो बैंक इस संबंध में दो समाचार पत्रों (स्थानीय भाषा में एक स्थानीय दैनिक सहित) में सार्वजनिक सूचना देगा और ग्राहकों को सुविधा बदलने या बंद करने के विकल्पों के साथ कम से कम दो महीने पहले सूचित किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं या ऐसी किसी अन्य आपात स्थिति के कारण अनियोजित स्थानांतरण के मामले में, बैंक अपने ग्राहकों को यथाशीघ्र उपयुक्त रूप से सूचित करने का प्रयास करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो

बैंकों को एक ही स्थान पर वर्तमान निर्देशों को उपलब्ध कराने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 25 अगस्त 2021 को 'वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन' पर एक मास्टर निदेश जारी किया। यह निदेश रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

पीएसओ द्वारा आउटसोर्सिंग

रिज़र्व बैंक ने 3 अगस्त 2021 को भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) द्वारा भुगतान और निपटान संबंधी गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लिए एक ढांचा तैयार किया है। पीएसओ यह सुनिश्चित करें कि उनकी सभी आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं, जिसमें मौजूदा व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, 31 मार्च 2022 तक इस ढांचे का अनुपालन करती हों। दिनांक 05 फरवरी 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के आधार पर, रिज़र्व बैंक द्वारा ढांचा अधिसूचित किया गया था। पीएसओ द्वारा भुगतान और निपटान गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लिए ढांचे की मुख्य विशेषताएं:

i) यह ढांचा अभी तक गैर-बैंक पीएसओ पर लागू है क्योंकि यह उनके भुगतान और / अथवा निपटान संबंधी गतिविधियों से संबंधित है।

ii) यह भुगतान और / अथवा निपटान से संबंधित गतिविधियों की आउटसोर्सिंग (ग्राहकों की ऑन-बोर्डिंग, आईटी आधारित सेवाओं, आदि जैसे अन्य प्रासंगिक गतिविधियों सहित) में जोखिमों के प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानकों को स्थापित करने की अपेक्षा करता है।

iii) यह ढांचा भुगतान और/अथवा निपटान सेवाओं से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य गतिविधियों, जैसे आंतरिक प्रशासन, हाउसकीपिंग या इसी तरह के कार्यों, पर लागू नहीं है।

iv) यह ढांचा सेवा प्रदाता पर लागू होता है, चाहे वह भारत में हो अथवा कहीं और स्थित हो।

v) यह आवश्यक है कि पीएसओ, जो अपनी गतिविधियों को आउटसोर्स कर रहे हैं, निम्नलिखित को सुनिश्चित करें:

क) समुचित सावधानी बरतना, प्रभावी निरीक्षण के लिए ठोस और अनुक्रियाशील जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना, और गतिविधियों की ऐसी आउटसोर्सिंग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का प्रबंधन करना।

ख) आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं आरबीआई द्वारा इसके प्रभावी पर्यवेक्षण में बाधा नहीं डालें।

vi) पीएसओ द्वारा गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

vii) पीएसओ, अनुपालन और निर्णय लेने संबंधी कार्यों जैसे केवाईसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने सहित जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा-परीक्षा से संबंधित मुख्य प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स नहीं करेंगा। तथापि, जबकि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य स्वयं की एक प्रबंधन प्रक्रिया हो, तो इस उद्देश्य के लिए लेखा-परीक्षकों को पीएसओ द्वारा अपने कर्मचारियों में से या संविदा के बाहर से नियुक्त किया जा सकता है।

viii) पीएसओ अपनी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और गतिविधियों की आउटसोर्सिंग की आवश्यकता का, साथ ही व्यापक जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सेवा प्रदाताओं के चयन का भी सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेगा। महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं वे हैं, जो बाधित होने पर, कारोबार संचालन, प्रतिष्ठा, लाभप्रदता और / या ग्राहक सेवा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अगस्त 2021 को टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के हिस्से के रूप में पहचाने गए स्ट्रीट वेंडर्स को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। टियर-3 से टियर-6 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर वालों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता रहेगा। पीआईडीएफ योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने के इस निर्णय से रिज़र्व बैंक के आरंभिक स्तर पर डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन

कार्ड लेनदेन पर टोकनाइजेशन के ढांचे की समीक्षा करने और हितधारकों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 अगस्त 2021 को उपभोक्ता उपकरणों - लैपटॉप, डेस्कटॉप, धारणीय वस्तुएं (कलाई घड़ी, बैंड, आदि), इंटरनेट ऑफ

थिंग्स (आईओटी) उपकरण आदि - को शामिल करने के लिए टोकनाइजेशन की व्यापि का विस्तार करने का निर्णय लिया । ऊपर संदर्भित परिपत्र के अन्य सभी प्रावधान लागू रहेंगे। इस पहल से उपयोगकर्ताओं के लिए कार्ड लेनदेन को अधिक सुरक्षित, सुदृढ़ और सुविधाजनक बनाया जाना अपेक्षित है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

IV. मुद्रा प्रबंधन

एटीएम में नकद उपलब्धता

रिज़र्व बैंक ने 10 अगस्त 2021 को बैंकों/व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (WLAO) को एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी के लिए अपने सिस्टम/तंत्र को मजबूत करने और कैश-आउट से बचने के लिए समय पर पुन:पूर्ति सुनिश्चित करना सूचित किया। इस संबंध में किसी भी अननुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और "एटीएम की गैर-पुन:पूर्ति के लिए दंड की योजना" में निर्धारित मौद्रिक दंड लगाया जाएगा। कैश-आउट के कारण एटीएम के डाउनटाइम की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया था और यह पाया गया था कि कैश-आउट से प्रभावित एटीएम संचालन से नकदी की अनुपलब्धता होती है और जिसके कारण जनता को परिहार्य असुविधा होती है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

सिक्कों के वितरण को बढ़ाने के उपाय

रिज़र्व बैंक ने 27 अगस्त 2021 को सिक्कों के वितरण के लिए बैंकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन को संशोधित किया। इसका उद्देश्य पहुंच को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक स्थानों पर प्रमुख जोर देना था। बैंकों से दावों की प्रतीक्षा किए बिना मुद्रा तिजोरी से शुद्ध निकासी के आधार पर सिक्कों के वितरण के लिए ₹65/- प्रति बैग की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सिक्का वितरण के लिए ₹10/- प्रति बैग अतिरिक्त प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

V. सरकार का बैंकर

राज्य सरकार के खाते

एजेंसी बैंकों द्वारा भुगतान स्क्रोलों में अत्याधिक दिए गए/ दोहरा दावा जैसे मामलों में सरकारी खाता में त्वरित /तत्काल वापसी/ जमा करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 2 अगस्त 2021 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से परामर्श कर यह निर्णय लिया है कि अत्याधिक पुट थ्रू / दोहरा दावा की राशि के मामलों में, प्राप्तियों के विलंबित जमा होने पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज की तरह राज्य सरकार द्वारा दण्डात्मक ब्याज लगाया जाए। ऐसे दोहरे दावे/अतिरिक्त पुट थ्रू के लिए दण्डात्मक ब्याज की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जिस तारीख को एजेंसी बैंक को अतिरिक्त पुट थ्रू/दोहरा दावा की राशि प्राप्त हुई है और संबंधित राज्य सरकार के खाते में एजेंसी बैंक द्वारा ऐसे अत्याधिक पुट थ्रू/दोहरा दावा की वापसी की असल तिथि से पहले की तिथि तक होगी (सरकारी खाता/तों में एजेंसी बैंकों द्वारा ऐसे अत्याधिक भुगतान/दोहरा दावा की राशि की वापसी की तिथि को छोड़कर)। दण्डात्मक ब्याज दर बैंक दर और(प्लस) 2% है। विलंबित अवधि के ब्याज का दावा करने/वसूली की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है और एजेंसी बैंक द्वारा ऐसे अत्याधिक पुट थ्रू/ दोहरा दावा में शामिल कितनी भी राशि हों पर प्रभार लगाया जाएगा। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

VI. वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन सूचकांक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया है। इस एफआई-सूचकांक को सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से बनाया गया है, जिसमे बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ-साथ पेंशन क्षेत्र के विवरण को शामिल करते हुए एक व्यापक सूचकांक के रूप में संकल्पित किया गया है। यह सूचकांक 0 और 100 के बीच की एकल संख्या में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है, जहां 0 पूर्ण वित्तीय अपवर्जन का प्रतिनिधित्व करता है वहीं 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। एफआई-सूचकांक में तीन व्यापक पैरामीटर (भार कोष्ठक में दर्शाए गए हैं) अर्थात्त, पहुंच (35%), उपयोग (45%) और गुणवत्ता (20%) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिसकी गणना कुछ संकेतकों के आधार पर की जाती है। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

एसएचजी को संपार्श्विक मुक्त ऋण

रिज़र्व बैंक ने 9 अगस्त 2021 को दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) पर मास्टर परिपत्र के 'सुरक्षा और मार्जिन' पैराग्राफ में निम्नानुसार संशोधन किया:

i) एसएचजी को ₹10 लाख तक की सीमा हेतु न कोई संपार्श्विक और न कोई मार्जिन लगाया जाएगा। एसएचजी के बचत बैंक खातों के विरुद्ध कोई ग्रहणाधिकार नहीं लगाया जाएगा तथा ऋण मंजूरी के समय जमाराशि के लिए कोई आग्रह न किया जाए।

ii) एसएचजी को ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक के ऋणों के लिए, कोई संपार्श्विक नहीं लगाया जाएगा और एसएचजी के बचत बैंक खाते के विरुद्ध कोई ग्रहणाधिकार नहीं लगाया जाएगा। यद्यपि, संपूर्ण ऋण (बकाया ऋण के बावजूद, भले ही वह बाद में ₹10 लाख से कम हो जाये) सूक्ष्म इकाई ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के तहत कवरेज के लिए पात्र होगा। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VII. आरबीआई बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अगस्त 2021 को अपना मासिक बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य, संकल्प, अन्य नीतिगत दस्तावेज, के अलावा दो भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। ये चार आलेख हैं: (i) अर्थव्यवस्था की स्थिति; (ii) भारत में खाद्य कीमतों की बढ़ोतरी पर कोविड-19 का प्रभाव; (iii) टीएलटीआरओ और संरचनात्मक चलनिधि : एनबीएफ़सी के लिए एक प्रोत्साहन और (iv) लघु वित्त बैंकों का प्रदर्शन- एक प्रारंभिक प्रतिबिंब। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

VIII. जारी आंकड़े

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 अगस्त 2021 को, वर्ष 2020-21 के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्यनिष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए जो 3,049 सूचीबद्ध गैर -सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। वर्ष 2019-20 से संबंधित आंकड़े भी तुलना करने के लिए सारणियों में प्रस्तुत किए गए हैं। इन आंकड़ों को यहां क्लिक कर प्राप्त किया जा सकता है।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।